राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

नागरिक अधिकार पत्र

1. राज्य बीमा योजना

1. यह योजना प्रदेश के समस्त राज्यकर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू है। विभाग द्वारा जारी की गयी बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ राज्य की संचित निधि में से चुकाने की राज्य सरकार गारंटी देती है।
2. विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले बीमा प्रमाण–पत्र के अंतर्गत देय बीमा धन न्यायालय द्वारा डिक्री एवं उसकी क्रियान्विति में कुर्की से मुक्त है।
3. पॉलिसी की अवधि के दौरान राज्य सेवा मे रहते हुए बीमेदार की मृत्यु होने पर बिना अतिरिक्त प्रीमियम लिये मनोनीत को दुगने बीमाधन का भुगतान किया जाता है।
4. सावधि बीमा योजना में देय प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में अधिक बीमाधन देय है।
5. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पॉलिसियों की तुलना में राज्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी पॉलिसियों पर देय बोनस की दर अधिक है।
6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–सी के अंतर्गत योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर प्रावधानों में निहित छूट राज्य कर्मियों को उपलब्ध है।
7. 1–4–2010 से राज्य बीमा प्रीमियम की मासिक कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गयी हैं:–

क्र. सं.	मूल वेतन	मासिक प्रीमियम
1.	6050 से 8,500 तक	330/–
2.	8501 से 11,000 तक	450/–
3.	11,001 से 18,000 तक	900/–
4.	18,001 से 28,000 तक	1300/–
5.	28,001 से अधिक	2200/–
6.	अधिकतम सीमा	2500/–

8. बीमेदार बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पहले किसी कारणवश राज्य सेवा त्याग देता है तो छः माह की अवधि में निम्न तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है:–
   क. प्रीमियम देते हुए पॉलिसी को परिपक्वता तिथि तक जारी रखना।
   ख. बिना प्रीमियम चुकाये परिपक्वता तिथि पर परिदत्त (पेडअप) मूल्य प्राप्त करना।
   ग. पॉलिसी का अध्यर्पण (सरेन्डर) मूल्य प्राप्त करना। छः माह में विकल्प न लेने पर स्वतः सरेन्डर में परिवर्तित हो जाती है।

9. कटौतियां मासिक वेतन बिल से की जाती हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी द्वारा स्वयं प्रीमियम जमा करवाया जाता है।
10. दिनांक 01–04–2009 से बीमा कटौती पर अधिक जोखिम वहन करने की आयु सीमा 55 वर्ष की गई है।
11. दिनांक 22–11–2007 से बीमा ऋण की वसूली 60 किश्तों में की जा रही है।

बीमेदार के अधिकार

1. बीमा योजना में बिना कोई कारण कुल अध्यर्पण मूल्य का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
2. कर्मचारी स्वेच्छा से निर्धारित खण्ड से दो दर अधिक की प्रीमियम कटौती करवा सकता है।
3. बीमेदार के सेवा में प्रवेश के समय पति/पत्नी/बच्चों/भाई/बहन/माता अथवा पिता में से किसी एक को अथवा एक से अधिक को मनोनीत कर सकता है, लेकिन विवाह से पूर्व किया गया मनोनयन विवाह उपरान्त पति/पत्नी के पक्ष में स्वतः निरस्त हो जाता है इसके अतिरिक्त बीमेदार कभी भी मनोनयन परिवर्तन कर सकता है।
4. आहरण वितरण अधिकारी से सही पॉलिसी संख्या की जांच करवाना, प्रतिमाह वेतन बिल में सही संख्या की जानकारी प्राप्त करना तथा बीमा रेकार्ड बुक का संधारण करवाना।

2. सामान्य प्रावधायी निधि योजना

1. यह योजना 31–12–2003 तक नियुक्त समस्त कर्मचारियों पर 1–5–1980 से अनिवार्य रूप से लागू है।

2. योजना के अंतर्गत जमा राशि पर घोषित ब्याज दर के अनुरूप चकवृद्धि ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में दिनांक 01–04–2003 से ब्याज की दर 8.00 प्रतिशत वार्षिक है। सेवानिवृति के पश्चात् नवीन खाता सेवानिवृति परिलाभों को जमा करवाने हेतु खोला जा सकता है जिस पर देय ब्याज दर 8.50 प्रतिशत है। ब्याज दरें निम्न प्रकार रही हैं:–

वर्ष	ब्याज दर	वर्ष	ब्याज दर
1980–1981	08.50	1986–2000	12.00
1981–1983	09.00	2000–2001	11.00
1983–1984	09.50	2001–2002	09.50
1984–1985	10.00	2002–2003	09.00
1985–1986	10.50	2003–2004 से लगातार	08.00

3. योजना के अंतर्गत अस्थाई/स्थायी आहरण दिये जाने का प्रावधान है। आहरण शिक्षा, बीमारी, सामाजिक दायित्व तथा शादी/सगाई आदि के लिये दिया जाता है। अस्थाई आहरण तीन माह के वेतन के बराबर अथवा जमा राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। स्थाई आहरण पन्द्रह वर्ष की सेवा पश्चात् दिया जाता है। सेवानिवृति में एक वर्ष शेष रह जाने पर जमा की 90 प्रतिशत तक राशि आहरण के रूप में दी जा सकती है। सगाई, शादी, एवं भवन निर्माण हेतु जमा राशि का 75 प्रतिशत तक स्थाई आहरण स्वीकृत किया जा सकता है। अस्थाई आहरण की अदायगी 24 समान किश्तों या अभिदाता द्वारा अनुरोध किये जाने पर

कम किश्तों में की जा सकती है। भवन निर्माण हेतु नियम 18 के अन्तर्गत उल्लेखित प्रयोजनों हेतु अभिदाता के सेवाकाल के दौरान किसी भी समय 75 प्रतिशत तक की राशि स्थायी आहरण के रूप में स्वीकृत की जा सकती है। उक्त बाबत विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–

	आहरण के कारण	अस्थाई	स्थाई
1.	अंशदाता की स्वयं, उसके परिवार के सदस्य अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जो वास्तविक रूप से उस पर आश्रित हों के ईलाज, उच्च शिक्षा हेतु	जमा राशि का 50 प्रतिशत अथवा तीन माह का मूल वेतन जो भी कम हो	जमा राशि का 50 प्रतिशत
2.	सामाजिक दायित्व का निर्वहन	उपरोक्तानुसार	–
3.	अंशदाता के स्वयं या पुत्र/पुत्रियों की सगाई अथवा विवाह की पूर्ति के लिये	उपरोक्तानुसार	जमा राशि का 75 प्रतिशत
4.	न्यायिक बचाव स्वयं या उसके आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कानूनी कार्यवाही के व्यय का संदाय करने हेतु	उपरोक्तानुसार	–
5.	स्वयं या पति/पत्नी के स्वामित्व के मकान की मरम्मत/नवीनीकरण व्यय	उपरोक्तानुसार	जमा राशि का 75 प्रतिशत
6.	भू–खण्ड क्रय एवं भवन निर्माण	–	जमा राशि का 75 प्रतिशत
7.	जीप/मोटर कार/मोटर साईकिल/ स्कूटर तथा स्थायी उपयोग की वस्तुएं क्रय हेतु	–	खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत अथवा जमा राशि का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो

4. अस्थायी आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा प्रमाणित पासबुक के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। स्थाई आहरण के लिये विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा अधिकार पत्र जारी कर स्वीकृति दी जाती है। अस्थाई आहरण की अदायगी 24 किश्तों में की जाती है।

5. योजना के अंतर्गत मासिक कटौती की दरें 1 नवम्बर 2009 से निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं:–

क्र. सं.	वेतन खण्ड	मासिक अंशदान
1.	9000 तक	500/–
2.	9001 से 11,000 तक	650/–
3.	11,001 से 15,000 तक	1100/–
4.	15,001 से 20,000 तक	1450/–
5.	20001 से 24,000 तक	2100/–
6.	24,001 से 28,000 तक	3300/–
7.	28,001 से 31,000 तक	4100/–
8.	31,001 से 45,000 तक	5200/–
9.	45,001 से 65,000 तक	5700/–
10.	65,000 से अधिक	6200/–

6. अंशदान नियमित वेतन बिल से किया जाता है तथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी द्वारा स्वयं अंशदान जमा करवाया जाता है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित कटौती दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से जमा करवा सकता है।
7. दिनांक 01–01–2004 से नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों पर सामान्य प्रावधायी निधि योजना लागू नहीं है।
8. पास बुक संधारण तथा सत्यापन हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की जीपीएफ पासबुक में कर्मचारी की सम्पूर्ण कटौतियों का इन्द्राज अंकित कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विभाग से सत्यापित करवायें।

अंशदाता के अधिकार

1. कर्मचारी को जमा राशि में से 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत स्थायी/अस्थायी एवं अंतिम आहरण प्राप्त करने का अधिकार है। 50 प्रतिशत स्थायी आहरण स्वयं अथवा संतान की उच्च शिक्षा, बीमारी एवं मकान मरम्मत आदि के लिये देय है। वाहन एवं उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिये कीमत का 75 प्रतिशत देय है। पुत्र/पुत्री की सगाई अथवा विवाह के लिये, मकान की खरीद, निर्माण एवं विस्तार आदि के लिये 75 प्रतिशत स्थायी आहरण देय है। अंशदाता के स्वयं की सेवानिवृति में एक वर्ष रह जाने की स्थिति में बिना किसी कारण अपनी कुल जमा राशि का 90 प्रतिशत राशि आहरित करने का भी प्रावधान है। सभी प्रकार के आहरण के लिये दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।
2. अंशदाता द्वारा नियुक्ति के पश्चात् प्रथम कटौती के समय परिशिष्ठ–घ भरा जाना आवश्यक है। उक्त में मनोनयन स्वीकृति हेतु अंशदाता निर्धारित प्रारूप में पति, पत्नी, संतानों, भाई–बहन, माता या पिता को मनोनीत कर सकता है। उपरोक्त वर्णित परिवार के सदस्यों के न होने की स्थिति में वह किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, लेकिन अंशदाता द्वारा शादी से पूर्व किये गये मनोनयन की दशा में शादी के पश्चात् पुनः मनोनयन करना आवश्यक है।
3. अंशदाता निर्धारित कटौती दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती है।

4. अंशदाता अपनी कटौतियां पास–बुक में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकित करवाकर वर्ष में एक बार इस विभाग से सत्यापित करायेगा।
5. कर्मचारी अपनी सेवानिवृति परिलाभों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30–3–1999 के अनुसार प्रावधायी निधि खाते में जमा करवा सकता है। इस राशि पर प्रावधायी निधि के लिये घोषित ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है। योजनान्तर्गत राशि जमा होने के एक वर्ष पश्चात् कर्मचारी को आहरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना

इस विभाग द्वारा जलदाय, सिंचाई, वन, सार्वजनिक निर्माण एवं खान विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू अंशदायी प्रावधायी निधि योजना के खातों का संधारण, स्थायी होने पर पेंशन विकल्प स्वीकार करने का कार्य किया जाता है। दिनांक 28–2–1994 के बाद वर्कचार्ज पर नवीन नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। कर्मचारी के वेतन (वेतन + मंहगाई भत्ता) का 8 प्रतिशत भाग स्वयं के अंशदान के रूप में तथा समान अंशदान राजकीय अंशदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कर्मचारी को नियमित/स्थाई घोषित करने पर एवं पेंशन का विकल्प स्वीकृत हो जाने पर स्वयं के अंशदान को मय ब्याज जीपीएफ में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा पेंशन लाभ हेतु राजकीय अंशदान मय ब्याज राजस्व खाते में स्थानान्तरित किया जाता है।

4. अखिल भारतीय सेवायें

अखिल भारतीय सेवाओं का पीएफ, ग्रुप बीमा एवं नवीन पेंशन योजना का विभाग द्वारा संधारण किया जाता है। पीएफ में अधिकारी के वेतन का 6 प्रतिशत अंशदान एवं ग्रुप बीमा में रुपये 120/– प्रतिमाह का अंशदान निर्धारित है। दिनांक 1–1–2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों पर नवीन पेंशन योजना लागू है जिसमें वेतन एवं मंहगाई भत्ता का 10 प्रतिशत अंशदान देय है।

पीएफ योजना में अस्थाई/स्थाई आहरण लिया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के अस्थाई आहरण की स्वीकृति कार्मिक विभाग द्वारा की जाती है। स्वयं/बच्चे की शिक्षा, सगाई, शादी एवं भवन निर्माण इत्यादि हेतु आहरण स्वीकृत किये जाते हैं।

नवीन पेंशन योजना का संधारण एनएसडीएल द्वारा किया जायेगा। अतः यह विभाग नोडल विभाग (एजेन्सी) का कार्य करेगा।

5. नवीन अंशदायी पेंशन योजना

नवीन अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01–01–2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू की गई है, जिसमें समस्त राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है और राज्य सरकार की और से भी समान अंशदान पीडी खाते में जमा करवाया जाता है। जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। उक्त योजना में अंशदाता की मृत्यु पर सम्पूर्ण राशि का भुगतान

मनोनीत/उत्तराधिकारी को किया जाता है। अधिवार्षिकी आयु से पूर्व कोई आहरण अनुज्ञेय नहीं है। अब पीडी खाते की राशि एनएसडीएल को स्थानान्तरित की जा रही है, जो इन खातो का संधारण करेगा। विभाग इसमें नोडल विभाग (एजेन्सी) की तरह कार्य करेगा।

6. साधारण बीमा योजना

1. साधारण बीमा निधि के अंतर्गत उन सभी सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य निगमों, सहकारी समितियों एवं पंजीकृत संस्थानों की सम्पत्तियों, वाहनों का बीमा किया जाता है, जिनमें राज्य सरकार का वित्तीय हित, शेयर होल्डिंग, ऋण अथवा गारंटर के रूप में निहित है। निधि द्वारा साधारण बीमा का समस्त प्रकार का यथा अग्नि, मोटर, परिवहन एवं विविध बीमा का आवरण उपलब्ध करवाया जाता है।
2. राज्य के समस्त राज्य कर्मियों का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा वर्ष 2011–12 के लिए प्रीमियम राशि रुपये 220/– + सेवा कर प्रति कर्मचारी की दर से किया गया है। यह राशि राज्यकर्मी के माह अप्रेल देय मई के वेतन से कटौती की जाती है। यदि किसी कारण से अप्रेल माह का वेतन आहरण नहीं होता है तो कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह स्वयं चैक/डी.डी. द्वारा प्रीमियम राशि आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से बीमा विभाग में 20 मई तक जमा करवाये। वर्ष 2011–12 से उक्त योजना जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत की जा चुकी है।
3. समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों का विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जाता है। उक्त पॉलिसी में प्रति विद्यार्थी 1.00 लाख रुपये का बीमाधन तथा पॉलिसी की बीमित अवधि अब प्रतिवर्ष 15 अगस्त से आगामी 14 अगस्त के बीच है।
4. गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों का बीमा भी विभाग द्वारा निर्धारित प्रीमियम के आधार पर प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है।
5. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा/विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा शारिरिक क्षतियों की दशा में क्षति की प्रकृति के अनुसार निम्नानुसार विभिन्न राशियों का भुगतान देय है:–

<table>
<tr><th colspan="2">क</th><th colspan="3">ख</th></tr>
<tr><td>समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा</td><td>देय भुगतान</td><td colspan="2">विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना</td><td>देय भुगतान</td></tr>
<tr><td>1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर</td><td>2 लाख रुपये</td><td rowspan="2">अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों हेतु प्रीमियम राशि रुपये 50/– पर लाभ "श्रेणी प्रथम"</td><td>दुर्घटना में मृत्यु होने पर</td><td>1 लाख</td></tr>
<tr><td>2. अन्य क्षतियों</td><td>रु. 2000 से 2 लाख तक</td><td>अन्य क्षतियों</td><td>पॉलिसी की शर्तों के अनुसार</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td rowspan="2">अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों हेतु प्रीमियम राशि रुपये 25/– पर लाभ "श्रेणी द्वितीय"</td><td>दुर्घटना में मृत्यु होने पर</td><td>50,000/–</td></tr>
<tr><td>अन्य क्षतियों</td><td>पॉलिसी की शर्तों के अनुसार</td></tr>
<tr><td rowspan="2">राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु</td><td>दुर्घटना में मृत्यु होने पर</td><td>1 लाख</td></tr>
<tr><td>अन्य क्षतियों पर</td><td>पॉलिसी की शर्तों के अनुसार</td></tr>
</table>

7. राज मेडिक्लेम बीमा योजना 2005

दिनांक 01–01–2004 से नव–नियुक्त समस्त राज्यकर्मियों को वार्षिक आधार पर मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी जारी की जाती है जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। पॉलिसी धारक अथवा उसके आश्रित परिवारजन को ऐसी गम्भीर बीमारी के ईलाज में होने वाले व्यय का पुनर्भरण किया जाता है, जिसमें रोगी को 24 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। पुनर्भरण की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये वार्षिक है। आश्रित परिवारजन से आशय पति/पत्नी, 21 वर्ष तक उम्र की दो संताने एवं उसके आश्रित माता पिता से है। राज्य के सभी सरकारी अस्पताल, राज्य सरकार से अनुमोदित राजस्थान से बाहर के अस्पताल तथा टी. पी. ए. द्वारा अनुमोदित अस्पताल में अपना उपचार करवा सकते हैं। इस पॉलिसी में प्रसूति हेतु अस्पताल में होने वाले व्यय के पुनर्भरण का भी प्रावधान है। पॉलिसी का नम्बर नवीन पेंशन योजना के लिए आवंटित नम्बर ही दिया जा रहा है। इसका प्रीमियम. राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

8 विद्युत् निगम मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा विद्युत् निगम की पांच कम्पनियां (A. राजस्थान विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, B. राजस्थान विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड, C. अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, D. जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, E. जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड) में दिनांक 01–01–2004 एवं उसके बाद नवनियुक्त निगम कर्मियों का मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का 2008–09 से सफल संचालन कर रहा है। इस योजना का संचालन भी राज. मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की समान शर्तों पर किया जा रहा है।

राज मेडिक्लेम योजना, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना एवं विद्युत् कम्पनियों की मेडिक्लेम बीमा योजना के अंतर्गत निम्न अस्पतालों में ईलाज करवाया जा सकता है:–

- सभी सरकारी अस्पताल
- टी. पी. ए. द्वारा अनुमोदित राज्य में स्थित निजी अस्पताल
- सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य के बाहर के अस्पताल
- निम्न चिकित्सा व्यय श्रेणी अनुसार पुनर्भरण योग्य है
  (अ) अस्पताल द्वारा लिये जाने वाले कमरे का किराया।
  (ब) रोगी को दिया जाने वाला भोजन व्यय।
  (स) सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स, कन्सलटेंट, विशेषज्ञ की फीस इत्यादि।
  (द) निश्चेतन (एनेस्थिसिया) खून आक्सीजन एवं ऑपरेशन थियेटर का व्यय, सर्जिकल उपकरण।
  (य) दवाईया एवं ड्रग्स, डायग्नोस्टिक मैटेरियल एवं एक्स–रे, डायलेसिस, कीमोथरेपी, रेडियोथेरेपी, पेसमेकर की लागत, कृत्रिम लिम्बस जो शरीर के भीतर लगते हैं एवं कृत्रिम अंगों की कीमत।

9 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग में पृथक से एक अनुभाग गठित किया गया है। आवेदनकर्ता अपना प्रार्थना पत्र निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर के नामजद प्रेषित कर सकता है जो कि लोक सूचना अधिकारी घोषित किये हुए हैं। निदेशक का पता निम्न है:–

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
जय सिंह हाईवे रोड़, बनीपार्क
राजस्थान जयपुर–302016
दूरभाष–0141–2200786
फैक्स–0141–2203344

10 सतर्कता/उपभोक्ता संबंध अनुभाग

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों के संतोषजनक निराकरण हेतु उपभोक्ता संबंध अनुभाग मुख्यालय में स्थापित है। अनुभाग में प्राप्त शिकायतों का इन्द्राज कम्प्यूटर पर एक नम्बर आवंटित करते हुए संबंधित जिला कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जाती है जिसकी मोनिटरिंग नियमित रूप से की जाती है। कर्मचारी अपनी शिकायत निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक, सतर्कता के नामजद मुख्यालय पर प्रेषित कर सकता है। बीमेदार अथवा अंशदाता चाहे तो अपनी शिकायत संबंधित जिला अधिकारी को भी प्रेषित कर सकता है।

11 क्लीयरिंग हाउस

राज्य कर्मचारी के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर उसके बीमा एवं प्रावधायी निधि के खातों का स्थानान्तरण भी संबंधित जिला कार्यालयों में किया जाता है। इस हेतु प्रतिमाह 15 तारीख को मुख्यालय स्तर पर माह में एक बार क्लीयरिंग हाउस की बैठक आयोजित की जाती है। उक्त बैठक में समस्त जिला कार्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं तथा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित होने वाले रेकार्ड का आदान–प्रदान करते हैं। इसी तर्ज पर माह में एक बार संभागीय मुख्यालय पर क्लीयरिंग हाउस बैठक आयोजित की जाती है जिसमें संभाग अधीनस्थ जिला कार्यालयों के प्रतिनिधि रेकार्ड का आदान–प्रदान करते हैं।

12 काउंटर व्यवस्था

1–4–2000 से प्रकरणों को प्राप्त करने तथा निस्तारित प्रकरणों को बीमेदारों एवं अंशदाताओं को लोटाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में काउंटर व्यवस्था प्रारम्भ की हुयी है। जिला कार्यालयों में डाक की प्राप्ति तथा निस्तारण का कार्य काउंटर प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। काउंटर प्रणाली में प्रकरणों का निस्तारण पूर्णतः प्राथमिकता के आधार पर ही किया

जाता है। काउंटर प्रणाली हेतु पूर्ण प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण निम्न कार्य दिवसों की समयावधि में किया जाता है:–

1.	बीमा ऋण	10 दिवस
2.	बीमा स्वत्व	21 दिवस
3.	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के 2 माह में
4.	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रेकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस
5.	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस
6.	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस
7.	बीमा/जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	मुख्यालय में प्रतिमाह 15 तारीख तथा संभागीय स्तर पर प्रतिमाह 10 एवं 25 तारीख को दो बार क्लीयरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है।
8.	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में
9.	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस
10.	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस
11.	समूह दुर्घटना बीमा दावा	21 दिवस

बीमेदार/अंशदाता/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से विभाग की अपेक्षाएं

1. बीमेदार/अंशदाता द्वारा विभाग से पत्राचार करते समय अपनी सही बीमा पॉलिसी/खाता संख्या का अंकन किया जाना चाहिए। वेतन बिलों के साथ बीमा एवं जीपीएफ कटौती पत्रों में सही बीमा पॉलिसी/जीपीएफ खाता संख्या अंकित करवाना चाहिए।

2. नवीन अंशदान पेंशन योजना में प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में काटा जाता है।

3. राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी सेवा में प्रविष्ट होने के बाद आने वाले 1 अप्रेल से बीमित होता है। बीमेदार को पॉलिसी संख्या आवंटन हेतु प्रथम घोषणा पत्र माह मार्च के वेतन बिल के साथ संलग्न करना चाहिए।

4. बीमेदार/खातेदार द्वारा अपने खातों के स्थानान्तरण हेतु पूर्ण विवरण जिले के बाहर स्थानान्तरण होने पर यथा बीमा पॉलिसी/खाता संख्या, अवधि कब से कब तक, आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम बीमा कार्यालय में प्रस्तुत करें।

5. पॉलिसी की परिपक्वता भुगतान हेतु परिपक्वता तिथि से तीन माह पूर्व कटौती बन्द कर स्वत्व प्रपत्र मय मूल पॉलिसी, बीमा रेकार्ड बुक, सेवा निवृति आदेश की प्रति व सेवा काल का विवरण तथा प्रावधायी निधि योजना के अंतर्गत अंतिम भुगतान हेतु जीपीएफ पासबुक संलग्न करनी चाहिए।

हमारा ध्येय =
"वेतन से बचत = सुरक्षित भविष्य"

मुख्यालय/संभाग/जिला कार्यालयों के दूरभाष नम्बर

अधिकारी	कार्यालय	फोन नं.
निदेशक	मुख्यालय जयपुर	0141–2200786 0141–2203344
अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)	मुख्यालय जयपुर	0141–2201061
अतिरिक्त निदेशक, प्रा.निधि/एनपीएस	मुख्यालय जयपुर	0141–2205464
अतिरिक्त निदेशक, बीमा/सिस्टम्स/प्रशिक्षण/	मुख्यालय जयपुर	0141–2206603
अतिरिक्त निदेशक, सा. बी. योजना/मेडिक्लेम	वित्त भवन, जयपुर	0141–2740219
संयुक्त निदेशक, प्रावधायी निधि/नवीन पेंशन योजना	मुख्यालय जयपुर	0141–2201627
संयुक्त निदेशक, सिस्ट्म्स	मुख्यालय जयपुर	0141–2206333
संयुक्त निदेशक, सतर्कता एवं सीआरएस	मुख्यालय जयपुर	0141–2202896
संयुक्त निदेशक, मेडिक्लेम	वित्त भवन, जयपुर	0141–2744520
संयुक्त निदेशक, साधारण बीमा योजना	वित्त भवन, जयपुर	0141–2740252
मुख्य लेखाधिकारी	मुख्यालय जयपुर	0141–2202097
संयुक्त निदेशक,	अजमेर संभाग	0145–2621978
उप निदेशक	अजमेर	0145–2427147
सहायक निदेशक	ब्यावर	01462–250345
उप निदेशक	भीलवाड़ा	01482–232622
उप निदेशक	नागौर	01582–240487
उप निदेशक	टोंक	01432–248091
संयुक्त निदेशक	बीकानेर संभाग	0151–2226631
उप निदेशक	बीकानेर	0151–2226632
उप निदेशक	चूरू	01562–250929
उप निदेशक	श्रीगंगानगर	0154–2970433
सहायक निदेशक	हनुमानगढ़	01552–260973
संयुक्त निदेशक	भरतपुर संभाग	05644–228207
उप निदेशक	भरतपुर	05644–222123
उप निदेशक	सवाईमाधोपुर	07462–220476
सहायक निदेशक	करौली	07464–250042
सहायक निदेशक	धौलपुर	05642–220824
संयुक्त निदेशक,	जयपुर संभाग प्रथम	0141–2201350
संयुक्त निदेशक	जयपुर शहर	0141–2203147
उप निदेशक	जयपुर शहर प्रथम	0141–2201938
उप निदेशक	जयपुर शहर द्वितीय	0141–2207162
उप निदेशक	जयपुर ग्रामीण	0141–2203571
उप निदेशक	जयपुर सचिवालय	0141–2227948
सहायक निदेशक	नई दिल्ली	011–23385987
संयुक्त निदेशक,	जयपुर संभाग द्वितीय	0141–2206403
उप निदेशक	सीकर	01572–271122
उप निदेशक	झुंझुनू	01592–232559
उप निदेशक	अलवर	0144–2348168
सहायक निदेशक	दौसा	01427–223549
संयुक्त निदेशक	जोधपुर संभाग	0291–2556414
उप निदेशक	जोधपुर शहर	0291–2556436
सहायक निदेशक	जोधपुर ग्रामीण	0291–2556424
सहायक निदेशक	बाड़मेर	02982–220675
उप निदेशक	जैसलमेर	02992–252524
उप निदेशक	पाली	02932–221524
सहायक निदेशक	सिरोही	02972–222425
सहायक निदेशक	जालौर	02973–222397
संयुक्त निदेशक	कोटा संभाग	0744–2322576
उप निदेशक	कोटा	0744–2322186
सहायक निदेशक	बांरा	07453–237060
सहायक निदेशक	झालावाड़	07432–232592
सहायक निदेशक	बून्दी	0747–2443735
संयुक्त निदेशक	उदयपुर संभाग	0294–2485985
उप निदेशक	उदयपुर	0294–2485793
सहायक निदेशक	राजसमंद	02952–220594
उप निदेशक	चित्तौड़गढ़	01472–241001
सहायक निदेशक	प्रतापगढ़	01478–222249
सहायक निदेशक	डूंगरपुर	02964–232528
सहायक निदेशक	बांसवाड़ा	02962–243506